



बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी0-4/04-1-50-2023

पटना, दिनांक- 22.12.2023

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत मूल कोटि वरीयता के आधार पर योग्य पाये गये पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) को पुलिस निरीक्षक (परिवहन) में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-7) सहित, अस्थायी, स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्नित है।

2. संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) से आच्छादित उक्त सभी पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) से इस आशय का न्यायिक शपथ-पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही संचालित/लंबित नहीं है एवं कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है तथा उनके विरुद्ध निगरानी/अपराधिक/फौजदारी अथवा अन्य न्यायिक वाद भी लंबित नहीं है। इस शपथ पत्र के उपरान्त ही संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार संबंधी इस आदेश का क्रियान्वयन करेंगे।

3. कार्यकारी प्रभार से आच्छादित किसी भी पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) के विरुद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरुद्ध निगरानी/फौजदारी/ आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह कार्यकारी प्रभार देय नहीं होगी।

4. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधधीन है।

5. उक्त परिशिष्ट-1 में उच्चतर प्रभार हेतु नामित पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) की यदि सेवा संपुष्ट न हो तो, सक्षम प्राधिकार (क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक) द्वारा सेवा संपुष्टि के उपरान्त उच्चतर प्रभार का क्षेत्रादेश निर्गत किया जायेगा।

6. सरकारी सेवक को कार्यकारी प्रभार प्रदान करने के निमित्त आवश्यक अर्हता को प्रभावित करने संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पाये जाने पर बिहार पुलिस मुख्यालय इस आदेश को यथा आवश्यकतानुसार संशोधित/रद्द करने हतु स्वतंत्र होगा।

7. इस आदेश से आच्छादित पदाधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन वाला जिला/इकाई/कार्यालय में कार्यरत रहेंगे।

8. उपर्युक्त पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस निरीक्षक (परिवहन) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

9. इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:- परिशिष्ट-1

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-पी0-4/04-1-50-2023/418

पटना, दिनांक- 22.12.2023

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

कंप्यूटर
संख्या-1

R-26630/EDM
22.12.23


2. संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल/इकाई सहित) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस परिवहन मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- ✓ 4. पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई को यह आदेश बिहार पुलिस के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M22/10/23
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना।

परिशिष्ट-1

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 के आलोक में पुलिस निरीक्षक (परिवहन) की कोटि में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति के पद पर कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) की सूची:-

क्र०	नाम/गृह जिला	मूल कोटि में नियुक्ति/समायोजन की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1	राम अवतार राम/पूर्वी चम्पारण	09.01.84	मोतिहारी
2	भूषण पाण्डेय/वैशाली	01.10.85	मुजफ्फरपुर
3	रविन्द्र चौधरी/ पटना	01.10.1985	पटना
4	मो० असलम/पटना	01.10.1985	पुलिस परिवहन मुख्यालय
5	प्रा०अ०नि० (परिवहन) अवधेश कुमार झा/सीतामढ़ी	01.10.85	दरभंगा
6	दयानन्द राय/सारण	20.01.1986	पटना
7	प्रा०अ०नि० परिवहन रामबाबू सिंह/मोतिहारी	01.06.1986	बेतिया
8	पु०अ०नि० (परिवहन) मो० कासिम/मुंगेर	06.03.1987	लखीसराय
9	प्रा०अ०नि० (परिवहन) गिरजानंदन प्रसाद/पटना	13.03.1987	बगहा
10	राजनन्दन राय/सीतामढ़ी	05.05.1987	समस्तीपुर
11	रमेश कुमार/सारण	01.07.1987	पटना
12	विनोद कुमार तिवारी/गाजीपुर (उ०प्र०)	15.09.87 (चालक समायोजन)	मुंगेर
13	प्रा०अ०नि० शिवशंकर सिंह/मोतिहारी	01.11.1987	बक्सर
14	प्रा०अ०नि० तबारक मियाँ/बेतिया	01.11.87	रोहतास


 पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
 बिहार, पटना।